न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 37 / 2024

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मीना पत्नी प्रेम आनंद जाति जटिया निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 आयुक्त नगर परिषद् बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील प्रार्थीनी पक्ष।

आदेश

दिनांक 27.05.2025

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी का खातेदारी के खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2704 / 2321 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीनी के खसरे की भूमि लठ्ठा ट्रेस में प्रार्थीनी के कब्जे अनुसार तरमीम हुई थी जो परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार है तथा प्रार्थीनी के उतरी सेढे की तरफ वर्तमान में नगर परिषद् बाडमेर की भूमि आई हुई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 2704 / 2321 की तरमीम प्रार्थीनी की जानकारी में लाये बिना तथा बिना किसी सक्षम आदेश के लठ्ठा ट्रेस में कब्जे के अनुसार नही कर खसरा कायम करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नही की गई। प्रार्थीनी उक्त भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करवा कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करवाना चाहती है, जिस हेतु यह आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। लिहाजा मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2704 / 2321 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / राजकाज रेफरेन्स संख्या 14917782 दिनांक 28.04.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603 / 2321, 2704 / 2321, 2705 / 2321 व 2698 / 2321 की भू–नक्शा में वर्तमान तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार है कि डीआईएलआरएमपी के तहत राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते वक्त मानवीय भूल से हुई है। पुराना लठ्ठा ट्रेस नक्शा में उक्त खसरान की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार अंकित है जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सही है। डीआईएलआरएमपी के तहत नक्शा व तरमीम का शत प्रतिशत कार्य जल्दी से जल्दी निस्तारित करने का दबाव तथा पुराना लठ्ठा ट्रेस नक्शा जीर्ण शीर्ण होने के कारण ऑनलाईन करते वक्त पुराने लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम से भिन्न अंकित हो गई जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। पुराना लठ्ठा ट्रेस नक्शे पुराने रेकर्ड व कब्जा स्थिति के अनुसार मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603 / 2321, 2704 / 2321, 2705 / 2321 व 2698 / 2321 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:39:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीनी द्वारा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603/2321, 2704/2321, 2705/2321 व 2698/2321 भूमि की अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। तहसीलदार बाडमेर द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। "राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत मानचित्र जो राजस्व अधिकारियों द्वारा संधारित की जाती है, जिसमे खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों व गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक मे की गई है या बतलाई गई है जिसे शुद्ध किया जा सकेगा तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियां अथवा कुछ स्वीकार गलतियां जो राजस्व अभिलेखों में आ गई हो को संशोधित किया जा सकता है।" जो तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603/2321, 2704/2321, 2705/2321 व 2698/2321 भूमि की तरमीम डीआईएलआरएमपी के तहत राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते वक्त भूल से हुई है। प्रकट तथ्यों के मदेनजर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603/2321, 2704/2321, 2705/2321 व 2698/2321 की वर्तमान लठ्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट "ब" को वकील प्रार्थीनी की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2603/2321, 2704/2321, 2705/2321 व 2698/2321 भूमि की भू-नक्शा में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.05 15:39:15 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

आदेश आज दिनांक 27/05/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर